संख्या:3/2015/300/61-2015-61(10)2014.

प्रेषक,

रमाकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 01 अप्रैल, 2015.

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के व्यय हेतु स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015- 231/ 2015, दिनांक 30 मार्च , 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015 -2016 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन- आयोजनेत्तर के अधीन व्यय हेतु कुल धनराशि रू0 1,16,28,78,000/-(रू0 एक अरब सोलह करोड़ अट्ठाइस लाख अट्हत्तर हजार मात्र) (जिसमें राजस्व रू0 1,16,28,77,000/- तथा पूंजी रू0 1,000/- की धनराशि शामिल है) आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि धनराशियों का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासन के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उन मदों पर व्यय तभी किया जाय जब उसमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो।

3- शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता संबंधी आदेश जारी किये जाते हैं। कृपया इन आदेशों का अनुपालन सुनिशिचत करते हुए शासन के व्यय में अपव्यय को रोका जाय तथा मितव्ययिता की जाय।

भवदीय,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

------/2

संख्या: 3/2015/300(1)/61-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12.
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
(7) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।